(वाद संख्या–7435/17)

16.09.2019

परिवादी, सुधांशु शेखर त्रिपाठी, अनुपस्थित हैं। गत तिथि को परिवादी के ओर से उपस्थित उनके अधिवक्ता को आज की तिथि की जानकारी दी जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी परिवादी आज सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

प्रस्तुत मामला परिवादी सुधांशु शेखर त्रिपाठी, सेवानिवृत्त उप निदेशक (नियोजन), मगध डिविजन, गया के सेवांत लाभ व सेवाकाल के लंबित यात्रा भत्ता विपत्र के भुगतान से संबंधित है।

श्रम संसांधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी के दिनांक 31.10.2017 को उप निदेशक (नियोजन), मगध प्रमंडल, गया के पद से सेवानिवृत्ति के उपरांत उन्हें ग्रुप बीमा एवं उनके सामान्य भविष्य निधि में संचित राशि का भुगतान किया जा चुका है साथ ही साथ अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य एक लाख उनासी हजार उनासी रुपये के भुगतान से संबंधित प्राधिकार पत्र महालेखाकार के कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा निर्गत किया जा चुका है। जहां तक परिवादी के पेंशन तथा उपादान के भुगतान का प्रश्न है, परिवादी के विरूद्ध लंबित विभागीय कार्यवाही के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, उनके पेंशन में से दस प्रतिशत पेंशन की कटौती करते हुए, नब्बे प्रतिशत पेंशन का भुगतान करने का निर्देश महालेखाकार के कार्यालय, बिहार, पटना को विभाग द्वारा भेजा गया है तथा उक्त के आलोक में छियालीस हजार दो सौ साठ रुपये प्रतिमाह पेंशन से संबंधित प्राधिकार पत्र महालेखाकार के कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा निर्गत भी किया जा चुका है। अपने प्रतिवेदन में श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का यह भी कथन है कि वर्तमान में परिवादी के विरूद्ध दो विभागीय कार्यवाहियाँ लंबित है, जबकि दो मामलों में आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' भी गठित किया जा चुका है। बढ़े हुए डी0ए0 के भुगतान के संबंध में श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अपने प्रतिवेदन मे कथन है कि परिवादी को जुलाई, 2017 से अक्टूबर, 2017 तक का बढ़ा हुआ डी0ए0 का भी भुगतान किया जा चुका है। लंबित यात्रा–भत्ता विपत्र के भुगतान के संबंध में उन यात्रा विपत्रों में कुछ त्रुटियां पायी गयी हैं, जिसके निराकरण हेतु उप निदेशक, गया प्रमंडल, गया को निर्देश दिया गया है। श्रम संसाधन विभाग के उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि उसे रूपांतरित पेंशन की सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा उसके पेंशन से दस प्रतिशत पेंशन की राशि की कटौती भी विधि मान्य नहीं है। अपने उपरोक्त

कथन के समर्थन में परिवादी द्वारा सिविल अपील संख्या 6770/2017 के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2013 को पारित आदेश को नियमन के रूप में दाखिल किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उपरोक्त आदेश झारखण्ड सरकार के मामले से संबंधित है, जिसमें कार्यपालक आदेश से एक कर्मी की पेंशन राशि में कटौती की गयी है, जबकि परिवादी के पेंशन राशि में कटौती बिहार पेंशन नियमावली के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार की गयी है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उपरोक्त नियमन परिवादी के मामले में लागू नहीं होगा। परिवादी के पेंशन व ग्रेच्युटी से जो कटौती की गयी है वह बिहार पेंशन नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में की गयी है, जो सर्वथा उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त के आलोक में आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक